कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 433/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.11.2026

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

◆ ***घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।***

◆ ***अभियुक्त के कब्जे से चोरी के करीब 30 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद।***

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2026 को वादी श्री अरविन्द जायसवाल निवासी ग्राम बनगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 15/16.11.2026 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान एवं जेवरात चोरी कर लिए गए। उक्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 219/2026 धारा 331(4), 305(क) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.11.2026 को थाना दीदारगंज पुलिस एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा सोंगर पुलिया, ग्राम भादो के पास चेकिंग के दौरान सफेद कार सवार अभियुक्त अशोक कुमार यादव पुत्र स्व0 सूर्यनाथ यादव निवासी ग्राम बनगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ (उम्र करीब 40 वर्ष) को समय करीब 11:51 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह वादी के घर आता-जाता था तथा परिवार के सदस्यों से घुला-मिला होने के कारण उसे घर में रखे सामान की जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने छठ पर्व के दौरान घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर जेवरात चोरी कर लिए थे तथा उन्हें बेचने के लिए जौनपुर जा रहा था। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के लगभग *30 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण* बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक कुमार यादव पुत्र स्व0 सूर्यनाथ यादव निवासी ग्राम बनगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के लगभग 30 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, जिनमें सोने की चेन, अंगूठियां, चूड़ियां, करधनी, माला, मांग टीका, नथिया, कान के फूल व टॉप्स तथा चांदी की पायल एवं करधनी शामिल हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 219/2026 धारा 331(4), 305(क) बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 317(2) बीएनएस, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक मानवेन्द्र प्रताप सिंह, का0 हितेन्द्र यादव, का0 दयाशंकर यादव, का0 सतेन्द्र गुप्ता, थाना दीदारगंज तथा हे0का0 उमेश कुमार, सर्विलांस सेल, जनपद आजमगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

◆ मिशन शक्ति 6.0 फेज-01 अभियान के तहत नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील कृत्य करने का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2026 को वादी द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि मोहम्मद सादिक पुत्र मोहम्मद अमीन, जो दिनांक 07.11.2026 से उनके मकान की ऊपरी मंजिल पर पेंटिंग का कार्य कर रहा था, ने घर के सदस्यों की अनुपस्थिति में उनकी दोनों नाबालिग बच्चियों (उम्र करीब 04-06 वर्ष) को छत पर ले जाकर अश्लील कृत्य करने का प्रयास किया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 396/2026 धारा 76 बीएनएस व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 18.11.2026 को मिशन शक्ति 6.0 फेज-01 अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विवेचक म0उ0नि0 रूपम वर्मा मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त मोहम्मद सादिक पुत्र मोहम्मद अमीन निवासी ग्राम पुरारानी समौधी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को शहीदनगर चौराहे से करीब 100 मीटर पहले से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहम्मद सादिक पुत्र मोहम्मद अमीन निवासी ग्राम पुरारानी समौधी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 396/2026 धारा 76 बीएनएस व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 137/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

इस गिरफ्तारी में म0उ0नि0 रूपम वर्मा, का0 काजल साहू, का0 अर्चना यादव एवं का0 नितीश मल्ल, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

◆ थाना बरदह पुलिस ने साइबर फ्रॉड के पीड़ित को वापस कराए ₹10,000/-

दिनांक 24.06.2026 को विशाल बिन्द निवासी ग्राम फतुही, थाना बरदह के खाते से ₹10,000/- की साइबर धोखाधड़ी की गई थी। पीड़ित की शिकायत पर थाना बरदह साइबर डेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के माध्यम से पूरी धनराशि ₹10,000/- पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।

पुलिस टीम में थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 मनीष सिंह एवं म0आ0 आरती सिंह शामिल रहे।

अपील: साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।